SS 29/11/72

रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 1972/पौष 17, 1893

No. 14] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 1972/PAUSA 17, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January 1972

G.S.R. 18(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), the Central Government hereby appoints the 21st day of January, 1972 as the appointed day for the purposes of that Act.

[No. F. 11/26/71-SR.]

M. G. PIMPUTKAR, Spl. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 18अ.—पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 2 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जनवरी, 1972 के 21वें दिन को नियत दिन के रूप में नियत करती है ।

[सं० 11/26/71-एस०आर०]

मो० ग० चिम्पुटकर, विशेष सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972